जमा प्रमाण-पत्र

स्रोत: बिज़नेस स्टैण्डर्ड

हाल ही में **क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया** ने आँकड़े जारी किये, जिनसे स्पष्ट हुआ कि वाणिज्यिक बैंकों ने अपनी बैलेंस शीट को मज़बूत करने के लिये **जमा प्रमाण-पत्र (Certificates of Deposit - CDs)** के माध्यम से 1.45 ट्रिलियन रुपए जुटाए हैं।

जमा प्रमाण-पत्र (Certificates of Deposit - CDs):

- **जमा प्रमाण-पत्र बैंकों और क्रेडिट यूनियनों** द्वारा प्रस्तुत एक **परक्राम्य (negotiable),** असुरक्षित मुद्रा बाज़ार साधन है, जो ग्राहक को एक पूर्व निर्धारित अवधि के लिये एकमुश्त जमा को अपरिवर्तित छोड़ने के लिये सहमत होने के बदले में **ब्याज दर प्रीमियम** प्रदान करता है।
    - दूसरे शब्दों में, यह **एक निश्चित अवधि** के लिये बैंकों में रखे धन पर एक निश्चित ब्याज दर का भुगतान करता है।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (**All-India Financial Institutions - FIs**) द्वारा व्यक्तियों **(NRI सहित)**, निगमों, कंपनियों, ट्रस्टों, फंडों, संघों आदि को **जमा प्रमाण-पत्र** जारी की जा सकती हैं।
    - CD की न्यूनतम राशि **1 लाख रुपए** होनी चाहिये तथा इसके बाद इसके गुणकों की अनुमति दी जाती है।
- **बैंकों** द्वारा जारी **जमा प्रमाण-पत्रों** की परिपक्वता अवधि 7 दिन से एक वर्ष तक होती है, जबकि वित्तीय संस्थाओं के लिये यह सीमा जारी होने की तिथि से 1 वर्ष से 3 वर्ष तक होती है।

भारतीय समाशोधन निगम (Clearing Corporation of India - CCIL):

- **वर्ष 2001** में स्थापित यह बैंक मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति बाज़ारों में **विश्वसनीय समाशोधन** तथा **निपटान** सेवाएँ प्रदान करता है।

और पढ़ें: बैंकिंग क्षेत्र: अवसर और चुनौतियाँ

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/certificates-of-deposit